कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, तिली रोड, सागर (म.प्र.) – 470001

website :- www.bundelkhandmedicalcollege.com
Email :- deansmc08@yahoo.co.in

Phone No :- 07582-236270
Fax No :- 07582-236457

क्रमांक 1633 / भर्ती / बी.एम.सी. / 2023 — सागर दिनांक 17 / 03 / 2023

/ / विज्ञप्ति / /

म0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2–53 / 2017 / 1 / 55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा जारी मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 तथा संचालक चिकित्सा शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 380 / स्था / राज / 2022 दिनांक 12.04.2022 में प्राप्त अनुसूचियों के अंतर्गत स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय सागर द्वारा बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के अधीन सह प्राध्यापक के निम्न रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। इस हेतु निर्धारित प्रारूप में संस्था स्तर पर आवेदन आमंत्रित किये जाते है। **आवेदन दिनांक 24/03/2023 समय शाम 05:00 बजे तक कार्यालय बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में जमा किये जायेगे।**

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

/ /पदोन्नति पद / /

क्र	विभाग का नाम	सह प्राध्यापक		
		UR	**SC**	**ST**
01	सर्जरी विभाग	02	–	–
02	रेडियोडायग्नोसिस विभाग	01	–	–
	कुल योग	03	–	–

1. **उपरोक्त विज्ञप्ति की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय सागर म.प्र की बेबसाईट www.bmcsagar.edu.in पर एवं चिकित्सा महाविद्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध है ।**
2. **साक्षात्कार बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में आयोजित किया जावेगा । रिक्त पदों की संख्या कमी / वृद्धि या विज्ञप्ति निरस्त भी की जा सकती है । आवश्यक होने पर विज्ञापन के संदर्भ में नवीन सूचनायें बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर की वेबसाईट पर प्रसारित की जायेगी । आवेदक नई सूचनाये हेतु बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर की वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करने का कष्ट करें।**

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय
सागर (म0प्र0)

नोटः– उपरोक्त चिन्हित पदों में SC(अनुसूचित जाति) ST(अनुसूचित जनजाति) OBC(अन्य पिछड़ा वर्ग) O(संबंधित संवर्ग में) H(विकलांग संवर्ग में) B(बैकलॉग) तथा F से चिन्हित पद महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित है एवं डेस– का अर्थ निरंक है। पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है ।

01. पद – नियमित नियुक्ति हेतु वेतनमान
सह प्राध्यापक – 131400– 217100+ डी.ए.

टीप– समस्त पदो के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एव अन्य मानदेय/भत्ते आदि देय होंगे।

02 . आयु सीमा – न्यूनतम
सह प्राध्यापक – 30 वर्ष

टीप–आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात् आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

03. यह विज्ञप्ति संस्था स्तर पर विज्ञापित की जा रही है एवं भर्ती में आरक्षण बिंदुओं अ0जा0/अ0ज0जा0/महिला के पदो के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है। पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

जाति प्रमाण पत्रः आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।

04. अर्हतायें:–

- **राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2022 को जारी गजट नोटिफिकेशन में चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम (TEQ) में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव**
- **अभ्यर्थी का मध्यप्रदेश मेडिकल कांउसिल अथवा एन.एम.सी./मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का पंजीयन अनिवार्य है।**
- **ऐसे विषयों में जहां गैर चिकित्सकीय शैक्षणिक अर्हता के अभ्यर्थी आवेदन की पात्रता रखते है, पर उनके आवेदन पर तभी विचार किया जा सकेगा जबकि उस पद के लिये मेडिकल डिग्री धारी उपयुक्त आवेदक न हो।**

05. निरर्हतायें:–

- विकृत चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्त्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हतकारी माना जायेगा।
- विवाह संबंधी–जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा ; कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे महिला/ पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे ।
- दिनांक 26/01/2001 के पश्चात् जिस पश्चात् जिस उम्मीदवार में जीवित बच्चों की संख्या दो से अधिक हो गई है वह चयन के लिये पात्र नहीं होगा परंतु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात् द्वितीय प्रसव में 02 या अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिये अनर्ह नहीं होगा ।

- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर ।
- कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो ।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा व नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो ।
- स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाये तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करे।

06. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षा पर अनुबंध पर की जावेगी यदि चयनित अभ्यर्थी द्वारा स्वशासी महाविद्यालय में एक वर्ष की अवधि के लिये सीनियर रेसीडेण्ट डाक्टर के पद पर संतोषजनक कार्य किया हो तो उसे सीधे नियमित सेवा में नियुक्ति दी जा सकेगी।

07. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरूद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा ।

08 चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय–समय पर सौपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा ।

09. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साईज के दो रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की एक छायाप्रति स्वप्रमाणित साथ लेकर अनिवार्य रूप से आवें ।

10 **आवेदन शुल्क :–**

सह प्राध्यापक अनारक्षित/ओ0बी0सी0 श्रेणी रू. 2000/–(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) – रू.1000/–रूपये का डी.डी –अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (Dean&CEO) बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा बैंक डाफ्ट के पीछे अभ्यर्थी अपना नाम, पदनाम, पता एवं मोबाईल नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करें अन्यथा ऑनलाइन भी आवेदन शुल्क जमा कर रशीद आवेदन के साथ संलग्न कर सकते है।

11. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि** :– आवेदन दिनांक 24 / 03/ 2023 के शायं 05:00 बंजे तक बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय में जमा किये जायेगे। दस्तावेज सत्यापन तथा साक्षात्कार की सूचना हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करें। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय कराये जा सकते है । किसी भी स्थिति मे निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। अन्य जानकारी हेतु महाविद्यालय की बेबसाईट का निरंतर अवलोकन करें।

12. चयन प्रकिया

अवर सचिव म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा के पत्र आवक कमांक 19272 दिनांक 29.12.2022 के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभागा मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक एफ 2–45/2010/1/55 भोपाल दिनांक 27.12.2022 में राज्य शासन ने एतद् द्वारा विभाग के अधीनस्थ संचालित समस्त चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालयों में प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के पदों की चयन प्रकिया में एकरूपता बनाए रखने के लिए प्रोराटा का निर्धारण किया है जो निम्नानुसार है:–

सह प्राध्यापक पदों पर भर्ती हेतु प्रोरेटा
अधिकतम अंक –100

कुल 20 अंक	कुल 20 अंक	कुल 20 अंक	कुल 20 अंक	कुल 20 अंक	कुल अंक
पी.जी. पाठ्यकम अंक– 1. –पी.जी. पाठ्यकम (MD/MS/DNB/MDS) उत्तीर्ण होने पर 20 अंक 2–प्रत्येक अतिरिक्त Attempt के लिए 02 अंक कम होंगे। अधिकतम–20 अंक	शैक्षणिक अनुभव – एन.एम.सी. के अनुसार मापदण्ड के अनुसार सह प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्युनतम शैक्षणिक अनुभव से अधिक शैक्षणिक अनुभव के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष को 02 अंक प्राप्त होंगे। अधिकतम 20 अंक	शोध अनुभव– एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार सह प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्युनतम आवश्यक शोध पत्रों के प्रकाशन के अतिरिक्त शोध प्रकाशन के लिए प्रत्येक शोध पत्र के 02 अतिरिक्त अंक अधिकतम 20 अंक	गोपनीय प्रतिवेदन में प्राप्त मतांकन का स्कोर– स्वशासी संस्था में विगत 05 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन में प्राप्त मतांकन का ग्रेडिंग का स्कोर क+ =04, क=03, ख=02, ग=01, घ=0 (उदाहरण– क+ मतांकन 03 वर्ष की सेवा x 4 अंक = 12 अंक 05 वर्ष की सेवा x 4 अंक = 20 अंक अधिकतम 20 अंक	*साक्षात्कार – अधिकतम –20 अंक	(........ /100)

नोटः–

1. चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 की अनुसूची –02 में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति/सीधी भर्ती के पद हेतु स्वशासी संस्था के अधीन सेवारत्/प्रतिनियुक्ति पद पदस्थ होकर कार्यरत अर्हताधारी उम्मीदवार के उपलब्ध होने की स्थिति में प्रथमतः इन हाउस विज्ञप्ति जारी की जाएगी स्वशासी संस्था के संबंधित विभाग में अर्हताधारी उम्मीदवार के उपलब्ध न होने पर ही ओपन विज्ञप्ति जारी की जाएगी ।
2. *साक्षात्कार हेतु विषय विशेषज्ञ राज्य के बाहर से मनोनीत होंगे। साक्षात्कार समिति में संबंधित संस्था से कोई विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नहीं होगा ।

चयन समिति निम्नानुसार गठित की जायेगीः–

1. संभागीय आयुक्त, संबंधित स्वशासी संस्था
2. अधिष्ठाता, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय
3. आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि
4. संभागायुक्त द्वारा राज्य के बाहर से मनोनीत 02 प्राध्यापक स्तर के विषय विशेषज्ञ।

13. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

14 उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सागर मध्य प्रदेश की वेबसाईट www.bmcsagar.edu.in पर उपलब्ध है ।

महत्वपूर्ण टीपः–

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते है । अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले और अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच लंबित न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो कि आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी । एवं आवेदक नवीन जानकारी हेतु महाविद्यालय की वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करें ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय
सागर (म0प्र0)